कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–वित्त/बजट) म.प्र. भोपाल

क्रमांक/आ.ले.प./2017/1066 भोपाल, दिनांक 11/12/18

प्रति,

समस्त आहरण एंव संवितरण अधिकारी
(प्रभारी वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी)
(म.प्र.)

विषयः– केशबुक संधारण तथा लेखा सबंधी कार्य।

––00––

कतिपय वनमण्डल के लेखाओं के निरीक्षण के दौरान यह देखा गया है कि वनमण्डलाधिकारी कार्यालय स्तर पर रोकड़ बही का नियमानुसार संधारण नहीं किया जा रहा है। यह गंभीर अनियमितता है। वर्तमान में आहरण सबंधी सभी प्रकिया कोषालय के माध्यम से संधारित हो रही है। म.प्र. कोष संहिता सहायक नियम 53 के अनुसार MPTC 5 पर केशबुक का संधारण, आहरण संवितरण अधिकारी के कार्यालय में ही किया जाना चाहिए। साथ ही समस्त भुगतान व्हाउचर अथवा उनकी सत्यापित प्रति भी आहरण संवितरण अधिकारी के कार्यालय में ही उनकी अभिरक्षा (Custody) में ही रखे जाने चाहिए। इस सबंध में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

1. राज्य शासन के समेकित निधि (consolidated fund) से आहरित की जाने वाली समस्त राशि कोषालय के माध्यम से आहरित हो रही है। अतः कोषालय के माध्यम से तथा एफ.डी.डी.फ. (Forest Department drawal facility) के माध्यम से आहरित की जाने वाली समस्त राशि की एक केशबुक रखी जाए। यह केशबुक आहरण संवितरण अधिकारी स्तर पर होगी। चूंकि वर्तमान में परिक्षेत्र अधिकारी आहरण संवितरण अधिकारी नहीं है, अतः उन्हें पृथक से केशबुक रखने की आवश्यकता नहीं है। वे जो भी कार्य सम्पादित करवाते है, उसकी सूची एक पंजी में पृथक–पृथक योजनावार रखेगें। तत्पश्चात् संबंधित देयकों को सत्यापित एवं सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर आहरण एवं भुगतान हेतु आहरण संवितरण अधिकारी को भेजेगें। आहरण संवितरण अधिकारी इन व्हाउचरों को अपनी अभिरक्षा में रखेगें तथा केशबुक संधारित करेगें।

2. कुछ राशि "आफ बजट" प्राप्त होती है। अर्थात् इन राशियों का आहरण कोषालय से न किया जाकर बैंक खाते में उपलब्ध राशि से चैक द्वारा भुगतान किया जाता है। इनकी पृथक–पृथक योजनावार केशबुक, योजना में उल्लेखित दिशा–निर्देशों के अनुरूप रखी जावें। उदाहरणार्थ–कैम्पा फण्ड की राशि।

3. विकास निधि की राशि भी कोषालय के माध्यम से प्राप्त नहीं होती है। अतः इसकी भी पृथक केशबुक, दिये गए निर्देशों के अनुरूप संधारित की जावें।

4. वनमण्डलों के निरीक्षणों के दौरान यह भी देखने में आया है कि कुछ जिलों में वृक्षारोपण का रख–रखाव समितियों के माध्यम से कराया जा रहा है तथा इसकी राशि का भुगतान भी सीधे समितियों को किया जा रहा है, तत्पश्चात् कार्यरत् श्रमिकों को समितियों द्वारा भुगतान किया जा रहा है। यह प्रक्रिया पूर्णतः वित्तीय अनियमितता के अंतर्गत आती है। वन विभाग तथा वित्त विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किये गये है कि वन समितियों के माध्यम से किये जा रहे भुगतान तत्काल रोके जावें तथा ऐसे भुगतान सीधे मजदूरों के बैंक खातों में कराये जाए। उक्त निर्देशों का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें।

5. निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ वनमण्डलाधिकारियों द्वारा एक ही मजदूर के खातें में कई मजदूरों की राशि एक साथ भुगतान कर दी जाती है या मजदूरों की राशि परिक्षेत्र अधिकारी अपने व्यक्तिगत बचत खाते में जमा करवाते है, तत्पश्चात् वितरित करते है। यह प्रकिया भी उचित नहीं है। मजदूरी का भुगतान संबंधित मजदूर के बैंक खाता में सीधे किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ वनमण्डलाधिकारियों द्वारा अंशकालीक श्रमिकों को न्यूनतम निर्धारित राशि के अनुसार मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। यह श्रम कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। न्यूनतम निर्धारित मजदूरी का भुगतान समय पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि आहरण संवितरण अधिकारी को जिस मद/लेखा शीर्ष में बजट उपलब्ध कराया जाता है, उससे उसी मद से संबंधित व्यय किया जायें।

7. सामान्य प्रशासन विभाग ने संविदा पर नियुक्ति के निर्देश दिये है। संविदा नियुक्ति देने के लिए नियमानुसार शासन से स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरूद्ध अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन–2) से स्वीकृति आदेश जारी कराने के बाद ही आगामी कार्यवाही की जावें। वनमण्डलाधिकारी सीधे संविदा नियुक्ति देने हेतु सक्षम नहीं है।

8. प्रधान महालेखाकार ने यह अवगत कराया है कि कोषालय द्वारा संकलित खजाना रसीद एवं धनादेश जारी प्रमाण–पत्र से वन विभाग द्वारा आंकड़ों का मिलान नहीं किया जा रहा है। जिनसे ऋणात्मक शेष/अंतर परिलक्षित हो रहा है। यह गंभीर अनियमितता है। अतः वनमण्डल से विभागीय एवं कोषालय आंकड़ों का मिलान दिनांक 30.04.2018 तक कराए जाएं। इस सबंध में प्रधान महालेखाकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 06.10.2017 संलग्न प्रेषित है।

उपरोक्त सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(अनिमेष शुक्ला)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
सतपुड़ा भवन, भोपाल
मध्यप्रदेश,

पृ.कमांक/आ.ले.प./2017/1067 भोपाल, दिनांक 11/5/18

प्रतिलिपिः–

1. समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र.।
2. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र.।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक म.प्र. की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
सतपुड़ा भवन, भोपाल
मध्यप्रदेश,

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम,
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

क्रमांक/एफ.सी.–1&2/प्रेषण/2016–17/डी– 45

दिनांक :– 6/10/2017

प्रति,

संयुक्त संचालक,
(कोष एवं लेखा),
पर्यावास भवन,
म.प्र. भोपाल –462001

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंतिम लेखे के संवरण पर मु.शी. 8782–उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले लेखा अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन, 103– वन प्रेषण, 01–खजानों में प्रेषण एवं 02– वन चैक, के अंतर्गत ऋणात्मक शेष/अंतर के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंतिम लेखे के संवरण पर मु.शी. 8782 103–01 कोषालय में प्रेषण एवं 8782–103–02 वन चैक के अंतर्गत अत्याधिक ऋणात्मक शेष/अंतर परिलक्षित हो रहा है। विगत कई वर्षों से इसके निराकरण बावत प्रधान मु.व.सं. सतपुड़ा भवन भोपाल एवं अ.प्र. मु.व.र. (वित्त एवं बजट) सतपुड़ा भवन भोपाल से निरंतर पत्राचार किया जाकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है एवं त्रुटियां/अनियमितताओं को दूर किये जाने हेतु भी अनुरोध किया गया है किंतु अत्यंत खेद का विषय है कि ऋणात्मक शेष/अंतर की राशि में निरंतर बढोत्तरी हो रही है। लेखों की समीक्षा उपरांत उक्त ऋणात्मक शेष/अंतर निम्न कारणों से होना प्रतीत होता है :–

(1) वन मंडलों/कोषालयों द्वारा मु.शी. 8782 में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण किया जाना।

(2) किये गये त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के संबंध में कोषालय एवं वन कार्यालयों के मध्य अंक समाधान विधिवत नहीं किया जाना।

(3) रोकड़ लेखे के साथ CTR/CIC का न भेजा जाना।

(4) वन मंडलों द्वारा अपने विभागीय लेखे में उक्त शीर्ष के अंतर्गत राशि जमा नहीं दर्शाया जाना या कम राशि दर्शाया जाकर इसके विरुद्ध कोषालय के लेखे में राशि अधिक जमा दर्शाया जाना।

(5) मु.शी. 8009, 8443, 8550 से संबंधित लेन देनों का 8782 में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण किया जाना।

(6) मु.शी. 8782 के अंतर्गत Public works Remittances/Public work के लेन देनों को Forest Remittances के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण रुप से दर्ज किया जाना।

(7) कोषालय द्वारा जारी संकलित खजाना रसीद एवं धनादेश जारी प्रमाण पत्र से वन विभागों द्वारा आंकड़ो का मिलान कार्य न किया जाना।

शाखा का नाम	f.a.14.
प्रभारी अपर संचालक	J.KS
प्रभारी संयुक्त संचालक	
प्रभारी उप संचालक	KD

SO (f.a.14)

संयुक्त संचालक
कोष एवं लेखा

संयुक्त कोष एवं लेखा, म.प्र. 5118, 7/10

ई- पेमेन्ट में पूर्व भुगतान हेतु जारी किये गये चेक की राशि को मासिक लेखे में दर्शाया गया किंतु ... भुगतान न होकर इस कार्यालय को प्राप्त न होना।

(9) मु.शी 8782 के अंतर्गत राशि का आहरण चेको के माध्यम से किया जाकर भुगतान हेतु चेक जारी नहीं किया जाना। आहरित राशि को लेखे में लिया जाना।

(10) विभाग द्वारा भुगतान हेतु जारी किये गये चेक एवं कोषालय द्वारा किये गये भुगतान के मध्य अंक स्थानांतरण न किया जाना।

(11) वन मंडल अधिकारियो द्वारा मु.शी 8782 के अंतर्गत राशि कोषालय में जमा की गई किंतु उसे विभागीय लेखे में नहीं लिया गया।

(12) जारी किये गये समस्त चेक/चालान कोषालय द्वारा डिवीजन वाइस पूर्ण सूची के साथ इस कार्यालय को न प्रेषित किया जाना।

(13) कोषालय द्वारा वर्ष 2010-11 से या इससे पूर्व के चेक/चालान जो कि इस कार्यालय को न भेजे जाने से राशि असमायोजित पड़ी होने के कारण।

उपरोक्त त्रुटियों/अनियमितताओं के परिणामस्वरुप उक्तांकित मु.शी में ऋणात्मक शेष/अंतर परिलक्षित हो रहा है। मु.शी. 8782-103-01 एवं 8782-103-02 में ऋणात्मक शेष/अंतर परिलक्षित होना एक गंभीर अनियमितता है। इसी परिप्रेक्ष्य मे आपको पुनः इस आशा के साथ लेख किया जा रहा है, कि उक्त शीर्षान्तर्गत वन मंडलों से विभागीय एवं कोषालयीन आकडों का विगत 10 वर्षो का मिलान कराकर उक्त कारणों से परिलक्षित ऋणात्मक शेष/अंतर को निराकृत कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

लेखा अधिकारी/एफ.सी. अनुभाग

क्रमांक/एफ.सी.-...2/प्रेषण/2016-17/डी-   दिनांक :-

प्रतिलिपि -

1. सचिव, वन विभाग म.प्र. भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (लेखा एवं बजट) भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु उचित निर्देश जारी करें।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त प्रकरण मे आवश्यक कार्यवाही हेतु उचित निर्देश जारी करे।

— हस्ता —

लेखा अधिकारी/एफ.सी. अनुभाग